राजस्थान स्टेट सीड्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड

सांथू फार्म (जालोर) को वर्ष रबी 2024–25 से 2026–27 तक ठेके हेतु ई–निविदा प्रपत्र

निविदा संबंधित महत्वपूर्ण दिनांक		दिनांक एवं समय
1	ऑनलाईन निविदा प्रस्तुत करने की अन्तिम दिनांक एवं समय	23.08.2024 अपरान्ह 02.00 बजे तक
2	ऑफलाईन बिड सिक्योरिटी,बिड फीस एवं प्रोसेसिंग फीस के डिमाण्ड ड्राफ्ट जमा कराने की अन्तिम दिनांक, समय एवं स्थान	23.08.2024 अपरान्ह 03.00 बजे तक, स्थान राजसीड्स, मुख्यालय, जयपुर।
3	तकनीकी निविदा खोलने की दिनांक एवं समय	23.08.2024 अपरान्ह 04.00 बजे

राजस्थान स्टेट सीड्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड

क्रमांकः 10826 दिनांक 02.08.2024

निविदा सूचना

राजस्थान स्टेट सीड्स कॉर्पोरेशन लि., मुख्यालय, जयपुर द्वारा निगम के सांथू फार्म (जालोर) को वर्ष रबी 2024–25 से 2026–27 तक बीज उत्पादन हेतु ठेके पर देने हेतु निर्धारित प्रपत्र में ई–निविदाये दिनांक 23.08.2024 को अपरान्ह 02.00 बजे तक आमंत्रित की जाती है। इस निविदा से संबंधित समस्त वांछित जानकारी एवं प्रपत्र वेबसाइट, एसपीपी पोर्टल राजस्थान सरकार www.sppp.rajasthan. gov.in, निगम वेबसाइट www.rajseeds. org एवं राजस्थान सरकार की कृषि पोर्टल www.agriculture.rajasthan.gov.in पर देखे या डाउन लोड किये जा सकते है।

प्रबन्ध निदेशक

राजस्थान स्टेट सीड्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड

क्रमांक: 10826 दिनांक 02.08.2024

निविदा आमंत्रण सूचना

राजस्थान स्टेट सीड्स कॉर्पोरेशन लि., मुख्यालय, जयपुर द्वारा निगम के सांथू फार्म (जालोर) को वर्ष रबी 2024–25 से 2026–27 के लिए बीज उत्पादन हेतु ठेके पर देने हेतु निर्धारित प्रपत्र में ई–निविदाये दिनांक 23.08.2024 को अपरान्ह 02.00 बजे तक आमंत्रित की जाती है।

क्र.सं.	फार्म का नाम	आरक्षित राशि (रू.)	बिड सिक्योरिटी राशि	निविदा शुल्क मय GST (रू.)	ई–निविदा हेतु प्रोसेसिंग शुल्क मय GST (रू.)
1	सांथू (जालोर)	6,00,000	12,000	1180	590

1. निविदाये राज्य सरकार की ई–निविदा वेबसाइट www.eproc.rajasthan.gov.in के माध्यम से आमंत्रित की जाती है। इस निविदा से संबंधित समस्त वांछित जानकारी एवं प्रपत्र इस वेबसाइट, एसपीपीपी पोर्टल राजस्थान सरकार www.sppp.rajasthan.gov.in, निगम वेबसाइट www.rajseeds.org एवं राजस्थान सरकार की कृषि पोर्टल www.agriculture.rajasthan.gov.in पर देखे या डाउन लोड किये जा सकते है। पूर्ण रूप से भरे हुये ई–निविदा प्रपत्र इस वेबसाइट पर दिनांक 23.08.2024 अपरान्ह 02.00 बजे तक अपलोड किये जा सकते है। बिड सिक्योरिटी एवं निविदा शुल्क हेतु निर्धारित राशि का डिमान्ड–ड्राफ्ट राजस्थान स्टेट सीड्स कॉपोरेशन लिमिटेड, पंत कृषि भवन, मुख्यालय, जयपुर एवं ई–निविदा प्रोसेसिंग शुल्क का डिमाण्ड–ड्राफ्ट MD, RISL, Jaipur के नाम बनवाया जाना अनिवार्य है एवं डिमाण्ड–ड्राफ्ट राजस्थान स्टेट सीड्स कॉपोरेशन लिमिटेड, पंत कृषि भवन, मुख्यालय, जयपुर पर दिनांक 23.08.2024 को अपराह्न 3.00 बजे तक जमा करवाया जाना अनिवार्य है। प्राप्त ई–निविदा दिनांक 23.08.2024 अपरान्ह 04.00 बजे खोली जावेगी।
2. निविदा प्रपत्र में दिये गये दिशा–निर्देशों के अनुरूप ही निविदा प्रपत्र भरा जाना अनिवार्य है।
3. बिड सिक्योरिटी,निविदा शुल्क एवं ई–निविदा प्रोसेसिंग फीस की राशि डिमाण्ड ड्राफ्ट के माध्यम से प्रस्तुत की जावे। यदि किसी निविदादाता को डिमाण्ड ड्राफ्ट जमा कराने में किसी प्रकार असुविधा हो तो बिड सिक्योरिटी,निविदा फीस एवं प्रोसेसिंग फीस निगम के खाते में एक साथ ऑन–लाईन भी जमा करायी जा सकती है। ऑन–लाईन जमा करायी गयी रसीद की छांया प्रति तकनीकी निविदा के साथ ई–प्रोक्योरमेन्ट पोर्टल भी अपलोड करना अनिवार्य होगा।
4. **बोलीदाता द्वारा अन्य बोलियों के लिए प्रस्तुत बोली प्रतिभूति समायोजित नही की जायेगी। लेकिन री–टेन्डर करने के फलस्वरूप पूर्व में जमा बोली प्रतिभूति स्वीकार की जा सकेगी। इस हेतु बोलीदाता को पूर्व में प्रस्तुत बिड सिक्योरिटी का सबूत निविदा के साथ प्रस्तुत करना होगा। निर्धारित निविदा शुल्क एवं ई– निविदा प्रोसेसिंग शुल्क के अभाव में निविदा निरस्त कर दी जावेगी।**

5. निविदादाता द्वारा बिड सिक्योरिटी,निविदा फीस एवं प्रोसेसिंग फीस की राशि ऑनलाईन भी निगम के निम्नलिखित खाते में जमा करायी जा सकती है–

i. खाते का नाम – राजस्थान स्टेट सीड्स कॉर्पोरेशन लि.

ii. बैंक का नाम – स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया

iii. खाता संख्या – 51052136667

iv. आई.एफ.एस.सी .– SBIN0031781

v. ब्रॉच का नाम – **Commercial Branch, Jaipur**

6. उक्त ई–निविदायें केवल www.eproc.rajasthan.gov.in के माध्यम से ही स्वीकार की जावेगी।

7. किसी भी निविदा को बिना कारण बताये पूर्ण अथवा आशिंक रूप से निरस्त करने का अधिकार आर.एस.एस.सी. का होगा।

8. तकनीकी एवं वित्तीय निविदा, निविदा प्रपत्र में दिये गये दिशा–निर्देशों के अनुरूप ही भरा जाना अनिवार्य है।

9. तकनीकी निविदा में सफल निविदा दाता की ही वित्तीय बिड खोली जावेगी।

10. बोलीदाता द्वारा बोली के साथ प्रस्तुत दस्तावेज किसी भी समय मिथ्या पाये जाते है तो बोली प्रतिभूति राशि जब्त की जा सकती है अथवा बोलीदाता को डिबार भी किया जा सकता है या दोनो प्रकार की शास्ति लगाई जा सकती है। ऐसी बोली किसी भी स्तर पर अस्वीकार की जा सकेगी।

11. बिड फीस एवं प्रोसेसिंग फीस वापस नहीं लौटायी जावेगी।

12. बोलीदाता द्वारा आयकर विभाग द्वारा जारी PAN एवं अन्य आवश्यक प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

13. निविदादाता को प्रत्येक फार्म हेतु अलग–अलग निविदा प्रस्तुत करनी होगी एवं प्रत्येक फार्म की निविदा हेतु बिड सिक्योरिटी,बिड फीस, प्रोसेसिंग फीस, बिड सिक्योरिटी डिक्लेरेशन अलग–अलग प्रस्तुत करने होंगे।

14. सशर्त निविदायें स्वीकार नहीं की जावेगी।

प्रबन्ध निदेशक

निविदा – प्रपत्र

सेवा में,

....

....

विषयः– निगम के सांथू फार्म (जालोर) को बीज उत्पादन हेतु ठेके पर दिये जाने हेतु निविदा वर्ष रबी 2024–25 से 2026–27

महोदय,

1. फार्म का नाम (जिसके लिए निविदा प्रस्तुत की जा रही है)..

2. निविदादाता का नाम ....

3. पूर्ण पता ....

4. टेलीफोन नम्बर .... मोबाईल नम्बर ....ई.मेल आई.डी...................

5. निविदा शुल्क डी.डी. संख्या .... दिनांक .... राशि ....

6. ई–निविदा प्रोसेसिंग शुल्क डी.डी. संख्या .... दिनांक .... राशि ....

7. बिड सिक्योरिटी राशि डी.डी. संख्या .... दिनांक .... राशि ....

8. पेन नम्बर ....

9. निविदादाता अथवा उसके परिवार के सदस्य द्वारा पूर्व में भी निगम के किसी भी फार्म पर ठेका लिया गया है। हॉ........... या नही ....(यदि हॉ तो कार्य संतोष पूर्ण होने का प्रमाण–पत्र चैकलिस्ट की बिन्दु संख्या–9 अनुसार संलग्न किया जावें। इसके अभाव में निविदा अस्वीकृत कर दी जावेगी)।

मेरे द्वारा निविदा प्रपत्र में दी गई नियम व शर्तो का अध्ययन कर लिया गया है और मैं निविदा की सभी नियम व शर्तो से सहमत हूँ।

निविदादाता के हस्ताक्षर

पूर्ण पता एवं सील

निविदादाता हेतु दिशा–निर्देश

1. बोलीदाताओ को सलाह दी जाती है कि बोली प्रकिया मे भाग लेने से पूर्व, राज्य में खरीद प्रकिया हेतु लागू कानून, राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013, जो राज्य प्रोक्यूरमेन्ट पार्टल की वेवसाईड www.sppp.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है, को भली भांति पढ़/समझ लिया जावें। किसी भी समय इन अधिनियम एंव नियमो तथा बोली दस्तावेजों के बीच कोई विसंगति पाया जाता है तो, अधिनियम एवं नियम के प्रावधान मान्य होगा।
2. **सत्यनिष्ठा संहिता (Code of Integrity)** :– कोई भी व्यक्ति जिसने RTPP अधिनियम की धारा 11 एवं नियम 80 के प्रावधानो के तहत् निर्धारण सत्यनिष्ठा संहिता का उल्लंघन किया है, खरीद प्रकिया में भाग नही ले सकेगा, बोलीदाता को विड डोक्यूमेन्ट के साथ सलग्न निर्धारित प्रपत्र परिशिष्ठ–"अ" में कोड ऑफ इन्ट्रेग्रेटी की पालना करने हेतु घोषणा पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
3. **बोलीदाता द्वारा सत्यनिष्ठा संहिता का उल्लंघन:–** बोलीदाता या संभावित बोलीदाता द्वारा सत्यनिष्ठा संहिता के किसी भी प्रावधान का उल्लघन करने पर उपापन संस्था द्वारा अधिनियम 2012 की अध्याय IV, धारा 11(3) और 46 के प्रावधानो के अनुसार बोलीदाता के विरूद्व कार्यवाही की जा सकेगी।
4. **बोली दस्तावेजों में सम्मिलित** :– बोली दस्तावेजों में, निविदा शर्ते, तकनिकी बिड़, बोली आमंत्रण सूचना, योग्यता मापदण्ड, सप्लाई ऑफ शिड्यूल एवं जारी किया गया कोई भी संशोधन इत्यादि, समस्त सम्मिलित होगें।
5. **बोली दस्तावेजों का विक्रय** :– बोली दस्तावेजों का विक्रय, बोली आमंत्रण सूचना के प्रकाशन की दिनांक से प्रारम्भ होकर, बिड प्राप्त करने के एक दिन पूर्व तक, www.sppp.rajasthan.gov.in पोर्टल से डाउनलोड किया जा सकेगा। बोलीदाता द्वारा www.sppp.rajasthan.gov.in पोर्टल से डाउनलोड करने पर बिड डोक्यूमेन्ट अनुसार फीस का भुगतान डी.डी. द्वारा निविदा प्रस्तुत करने पर निविदा के साथ प्रस्तुत करना होगा। जिसे ई–प्रोक्यूरमेन्ट पर भी तकनिकी बिड़ के साथ अपलोड करना होगा–
   (i) बोली दाता द्वारा बोली दस्तावेज www.sppp.rajasthan.gov.in पोर्टल से सही ढंग से डाउनलोड नही कर पाने पर उपापन संस्था की कोई जिम्मेदारी नही होगी।
   (ii) बोलीदाता को सलाह दी जाती है कि वह बिड दस्तावेजों के निर्देशो, फार्मस, शर्ते, स्पेशिफिकेशन, को भलीभॉति रूप से पढ़ ले/समझ ले, उपापन संस्था द्वारा निविदा के साथ चाही गई सूचनाऐ, डाक्यूमेन्ट प्रस्तुत नही करने पर निविदा निरस्त की जा सकेगी।
6. **बोली दस्तावेजों में संशोधन:–**
   (i) यदि आवश्यक हो तो, क्रेता अधिकारी बिड प्रस्तुत करने की अन्तिम दिनांक एवं समय से पूर्व किसी भी समय स्वयं (SUO Moto) बोली दस्तावेजो में संशोधन कर सकेगा, जारी किया गया संशोधन बिड दस्तावेज का हिस्सा/पार्ट होगा।
   (ii) उपापन संस्था द्वारा जारी किया गया कोई भी संशोधन बोली दस्तावेजो का हिस्सा होगा, उपापन संस्था द्वारा जारी किये गये संशोधन को www.sppp.rajasthan.gov.in पोर्टल पर अपलोड किया जायेगा, जिसे बोलीदाताओं द्वारा डाउनलोड किया जा सकेगा।

7. **बोली (बिड) की लागत**:—बोली तैयार करने से हेतु सभी लागत बोलीदाता द्वारा वहन की जावेगी, उपापन संस्था ऐसी लागत के लिए उत्तरदायी नही होगा।

8. **बोली (बिड) प्राईज और डिस्काउण्टः**—

i. प्रत्येक बोलीदाता द्वारा प्राईज बिड बोली दस्तावेजो के साथ संलग्न एक्सल फॉर्मेट, (BOQ) में प्रस्तुत करनी होगी। बोलीदाता (बिडर) द्वारा BOQ को मोडीफाई/रिप्लेस नही किया जावें, केवल रिलेवेन्ट कॉलमों में ही दरे भरी जावें। बोलीदाता (बिडर) द्वारा इसमें किसी प्रकार की गलती किऐ जाने पर यदि निविदा निरस्त होती है तो इसके लिए बोलीदाता (बिडर) स्वयं जिम्मेदार होगा।

ii. यदि बोलीदाता द्वारा BOQ में बेसिक प्राईज कॉलम नही भरा जाता है तो बिड रिजक्ट की जा सकेगी, जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी बोलीदाता (बिडर) की होगी।

9. **बोलियों को हस्ताक्षरित किया जाना** :— बोली दस्तावेज प्रस्तुत करने हेतु अधिकृत व्यक्ति द्वारा बोली दस्तावेजो के प्रत्येक पृष्ठ पर, समस्त निबिन्धों एवं शर्तो की सहमति के परिणामस्वरूप, हस्ताक्षर करेगा।

10. **बोलियों का प्रत्याहरण (Withdrawal)** :— किसी भी बोली का प्रत्याहरण (Withdrawal) प्रति स्थापना या उपान्तरण बोलियों के प्राप्ति के लिए नियत अन्तिम दिनांक और समय के पश्चात् नही किया जा सकेगा।

11. **बिड सिक्योरिटी** :—

i. बोली प्रतिभूति की राशि फार्म ठेके हेतु निर्धारित आरक्षित राशि की 2 प्रतिशत होगी। बोली प्रतिभूति डिमान्ड ड्राफ्ट **(DD)** के माध्यम अथवा ऑन—लाईन/बैंक गारन्टी के रूप में प्रस्तुत की जा सकेगी।

ii. सफल बोलीदाता के मामले में बोली प्रतिभूति राशि कार्य संपादन प्रतिभूति में समायोजित की जा सकेगी। कार्य संपादन प्रतिभूति राशि की सम्पूर्ण राशि जमा कराये जाने पर बोली प्रतिभूति राशि वापिस लौटा दी जावेगी।

iii. असफल बोली लगाने वालों की बोली प्रतिभूति राशि का प्रतिदाय सफल बोली की अंतिम स्वीकृति और अनुबन्ध के हस्ताक्षर करने एवं कार्य संपादन प्रतिभूति प्रस्तुत करने के शीघ्र पश्चात लौटायी जावेगी।

12. **कार्य सम्पादन प्रतिभूति को जब्त (Forfited) करना** :—

(क) कार्य सम्पादन प्रतिभूति पूर्ण या ऑंशिक (पार्टली) निम्न मामलो में जब्त कर ली जावेगी :—

(i) जब बोलीदाता निर्धारित अवधि में करार (Agreement) निष्पादित नही करता है; या

(ii) जब बोलीदाता कार्यादेश अनुसार निर्धारित अवधि में कार्य प्रारम्भ करने में विफल रहता है; या

(iii) जब बोलीदाता कार्यादेश अनुसार निर्धारित अवधि में संतोषप्रद रूप से कार्य करने में विफल रहता है; या

(iv) जब बोलीदाता अनुबन्ध के नियम एवं शर्तों का उल्लंघन करता है; या

(v) जब बोलीदाता किसी अन्य अनुबन्ध के तहत देय राशि उपापन संस्था को भुगतान करने में विफल रहता है; या

(vi) यदि बोलीदाता इन अधिनियम एवं नियमो के अन्तर्गत बोली दस्तावेजो में बोलीदाताओ के लिए निर्धारित सत्यनिष्ठा संहिता के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन करता है।

नोट :— उपापन संस्था द्वारा कार्य सम्पादन प्रतिभूति जब्त करने से पूर्व बोलीदाता को स्पष्टीकरण देने हेतु युक्तियुक्त (पर्याप्त) समय दिया जायेगा। उपापन संस्था का निर्णय अंन्तिम होगा, जो बोलीदाता को मान्य होगा।

13. **<u>अपील</u>**:– RTPP अधिनियम 2012 की धारा 40 के अध्यधीन रहते हुये, यदि बोली लगाने वाला या भावी बोली लगाने वाला इस बात से व्यथित है कि उपापन संस्था का कोई निर्णय इस अधिनियम या इसके अन्तर्गत जारी नियमों के उल्लघंन में है तो उपापन संस्था के ऐसे अधिकारी को निर्णय की तारीख से 10 दिवस की अवधि के भीतर बोली दस्तावेजों में निर्धारित फार्म अनुलग्न–'C' में निर्धारित फीस की राशि के साथ अपील दाखिल कर सकेगा।

14. निविदादाता द्वारा निविदा प्रपत्र का पूर्णतः अध्ययन कर भरा जावें एवं प्रत्येक पेज पर हस्ताक्षर किये जावे, जिससे यह समझा जावे कि आप द्वारा निविदा की सभी नियम व शर्तो का अध्ययन कर लिया गया है एवं सभी शर्त एवं नियम निविदादाता को मान्य है।

15. निविदा प्रपत्र में ही निविदा भरी जावे। निविदा के साथ निविदादाता द्वारा सभी वांछित दस्तावेज प्रस्तुत करना अनिवार्य है। बिना दस्तावेजों के निविदा स्वीकार नहीं की जावेगी।

16. निविदा प्रपत्र में किसी भी प्रकार की कांट छांट मान्य नहीं होगी। यदि कांट छांट की जाती है तो संबंधित निविदादाता के हस्ताक्षर मय सील के साथ ही मान्य होगी। कांट छांट पर हस्ताक्षर नहीं पाये जाने पर पूर्ण निविदा निरस्त समझी जावेगी

17. बिड सिक्योरिटी,निविदा शुल्क का डिमाण्ड–ड्राफ्ट Rajasthan State Seeds Corporation Ltd. एवं ई–निविदा हेतु निर्धारित प्रोसेसिंग शुल्क का डिमाण्ड–ड्राफ्ट MD, RISL, Jaipur के नाम बनवाकर निर्धारित समय तक राजस्थान स्टेट सीड्स कॉपोरेशन लिमिटेड, पंत कृषि भवन, मुख्यालय, जयपुर पर जमा कराना अनिवार्य होगा। डिमाण्ड–ड्राफ्ट की छांया प्रति /ऑन–लाईन जमा करायी गयी बिड सिक्योरिटी,निविदा शुल्क तथा प्रोसेसिंग शुल्क की रसीद की छांया प्रति तकनीकी निविदा के साथ ई–प्रोक्योरमेन्ट पोर्टल भी अपलोड करना अनिवार्य होगा।।

18. तकनीकी निविदा में सफल निविदा दाता की ही वित्तीय बिड खोली जावेगी।

19. निविदा में दी गई दरें ही मान्य होगी जिसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जायेगा।

20. यह निविदा अनिवार्य रूप से राज्य सरकार एवं www.eproc.rajasthan.gov.in द्वारा ई–निविदा हेतु निर्धारित दिशा–निर्देशों एवं चैक लिस्ट में दिये गये निर्देशों के अनुरूप ही भरी एवं अपलोड की जावे।

21. **(अ) बोलीदाता (बिडर) द्वारा फार्म ठेके पर लिये जाने के क्रम में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी हैसियत प्रमाण पत्र फार्म की निर्धारित आरक्षित राशि का 1/5 (पांचवा भाग) निविदा के साथ प्रस्तुत करना होगा। इसके अभाव में निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।**

    (ब) किसी भी परिवार/व्यक्ति/ठेकेदार/संस्थान द्वारा फार्म ठेके पर लिये जाने के क्रम में चल व अचल सम्पत्ति का विवरण स्वयं द्वारा सत्यापित कर निविदा के साथ प्रस्तुत करना होगा।

22. निविदा अनुसार बिड सिक्योरिटी राशि तथा निविदा शुल्क मय GST 1180/– रू. एवं ई–निविदा हेतु प्रोसेसिंग शुल्क (मय GST) 590 रू. निविदा खोलने की दिनांक 23.08.2024 को अपरान्ह 03.00 बजे तक जमा कराना होगा। **निविदादाता द्वारा बिड सिक्योरिटी,निविदा फीस एवं प्रोसेसिंग फीस की राशि ऑनलाईन भी निगम के खाते में निविदा अनुसार जमा करायी जा सकती है।**

23. ई–निविदा ऑन–लाईन दिनांक 23.08.2024 को अपरान्ह 02.00 बजे तक स्वीकार की जावेगी। तकनीकी निविदा दिनांक 23.08.2024 को अपरान्ह 04:00 बजे खोली जावेगी। निविदा निर्धारित प्रपत्र में ही ऑन–लाईन ही स्वीकार की जावेगी।

24. बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत बोली ऑफर तकनीकी निविदा प्रस्तुत करने की दिनांक से न्यूनतम 90 दिवस के लिए ही मान्य होगा, 90 दिवस से कम अवधि के लिए प्रस्तुत की गई बिड निरस्त कर दी जावेगी।

25. बोलीदाता द्वारा तकनीकी एवं वित्तीय बिड बोली दस्तावेजों में उपलब्ध निर्धारित फार्म में ही प्रस्तुत की जावें। तकनीकी बिड के सम्पूर्ण कॉलम को आवश्यक रूप से भरा जावे। बिड फार्म में कोई भी संशोधन स्वीकार नहीं किया जायेगा। **तकनीकी बिड में वित्तीय दरें प्रस्तुत करने पर निविदा अस्वीकृत कर दी जावेगी।**

26. बिड के साथ प्रस्तुत करने वाले आवश्यक दस्तावेजः—

बिड के साथ प्रस्तुत किये जाने वाले सभी आवश्यक दस्तावेज ई—प्रोक पोर्टल पर अनिवार्य रूप से अपलोड़ किये जावेगे। तकनीकी बोली में निम्नलिखित शामिल होगाः—

i. पैन नम्बर विवरण एवं उसकी छांयाप्रति।

ii. 500 रू. के स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र (किसी विभाग/संस्था/डीबार/काली सूचिबद्ध नहीं है।

iii. बिड डिक्लेरेशन फार्म अनुलग्न 'बी' अनुसार।

iv. निविदा शुल्क एवं ई—निविदा प्रोसेसिंग शुल्क के डिमाण्ड ड्राफ्ट/ऑन लाईन जमा राशि की रसीद की छायाप्रति।

v. बिड सिक्योरिटी राशि के डिमान्ड ड्राफ्ट/ऑन लाईन जमा राशि की रसीद की छायाप्रति।

vi. पूर्ण रूप से भरा हुआ निविदा प्रपत्र जिसके प्रत्येक पृष्ठ पर निविदादाता की मोहर एवं हस्ताक्षर।

vii. सक्षम अधिकारी द्वारा जारी हैसियत प्रमाण पत्र न्यूनतम राशि फार्मवार।

viii. स्वयं द्वारा सत्यापित चल—अचल सम्पति का विवरण।

ix. फार्म ठेके में भाग लेने वाले निविदादाता के परिवार सदस्यों अथवा स्वयं द्वारा पूर्व में किसी भी वर्ष के दौरान फार्म ठेका लिया गया है तो संबंधित फार्म प्रभारी अधिकारी के स्तर से कार्य संतोषप्रद रहने का प्रमाण—पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। इसके अभाव में निविदा निरस्त कर दी जावेगी।

27. ठेकेदार द्वारा **फार्म 1 सितम्बर 2024 से 31 मई 2027 तक हेतु ठेके पर लेने हेतु कुल ठेका अवधि 2 वर्ष 9 माह की दर प्रस्तुत करनी होगी।**

(i) ठेकेदार द्वारा दरें 2 वर्ष 9 माह के लिए एक ही दर दी जावे।

(ii) ठेके हेतु वर्ष का निर्धारण 1 सितम्बर 2024 से 31 मई 2027 तक रहेगा। ठेकेदार को फार्म 1 सितम्बर 2024 को संभलाया जाकर ठेका समाप्ति पर 31 मई 2027 को निगम को फार्म पुनः संभलाना होगा।

28. अनुबन्ध की शर्तो के तहत दोनों पक्षों में किसी भी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने की स्थिति में सफल बोलीदाता द्वारा अपना पक्ष प्रमुख शासन सचिव/अध्यक्ष, राजस्थान स्टेट सीड्स कार्पोरेशन को प्रस्तुत किया जा सकेगा। प्रमुख शासन सचिव/अध्यक्ष, राजस्थान स्टेट सीड्स कार्पोरेशन का निर्णय दोनो पक्षों को मान्य होगा।

29. ठेका स्वीकृति की सूचना देने के पन्द्रह दिवस के अन्दर सफल निविदा दाता को निविदा की शर्तो का **500/— रूपये के नॉन—ज्यूडिशियल स्टाम्प** पर अनुबंध **(Annexure-F)** करना होगा। अनुबंध के साथ ठेकेदार द्वारा कुल ठेका राशि का 5 प्रतिशत प्रतिभूति राशि व अग्रिम चैक निम्नानुसार राजसीड्स, मुख्यालय, जयपुर में जमा कराने होंगे। निर्धारित समय पर अनुबंध नहीं करने एवं SD राशि जमा नहीं कराने पर आर.टी.पी.पी. नियमों के प्रावधान अनुसार कार्यवाही की जावेगी। सफल ठेकेदार का चयन अधिकतम ठेका राशि के आधार पर किया जावेगा—

I. **बिड परफॉरमेन्स सिक्योरिटी (प्रतिभूति) राशि** — कुल स्वीकृत ठेका राशि की 5 प्रतिशत बिड परफॉरमेन्स सिक्योरिटी राशि के रूप में प्रबन्ध निदेशक, राजसीड्स, मुख्यालय, जयपुर में जमा करानी होगी।

II. **ठेका राशि का भुगतान—**

(1) कार्यादेश से पूर्व अनुबन्ध के समय कुल ठेका राशि की 8.33 प्रतिशत राशि का डीडी/बैंकर चैक एवं 16.67 प्रतिशत राशि की बैंक गारन्टी एकमुश्त क्षेत्रीय प्रबन्धक के कार्यालय में जमा करानी होगी। ठेके के लिए शेष राशि के 10 समान किस्तों के चैक क्षेत्रीय प्रबन्धक के कार्यालय में जमा कराने होंगे। इन चैको में किस्त जमा कराने की अन्तिम दिनांक अंकित होगी।

इसके लिए सभी चैको पर किस्त की नियत राशि एवं वसूली की अंतिम दिनांक क्रमशः 31 जनवरी 2025, 15 मई 2025, 30 जून 2025, 30 अक्टूबर 2025, 31 जनवरी 2026, 15 मई 2026, 30 अक्टूबर 2026, 31 जनवरी 2027, 15 मई 2027 एवं 30 जून 2027 अंकित करते हुए प्रस्तुत करने होंगे।

(2) फार्म ठेके के प्राप्त चैक निर्धारित तिथि को बैंक में जमा कराते हुये ठेका राशि की नियत किस्त राशि प्राप्त की जावेगी। चैक बैंक में लगाये जाने से पांच दिवस पूर्व संबंधित क्षेत्रीय प्रबन्धक फार्म ठेकेदार को लिखित में सूचित करायेगें। चैक लगातार दो बार बाउन्स होने की स्थिति में ठेकेदार को फार्म पर कार्य नहीं करने दिया जावेगा एवं ठेकेदार के द्वारा दी गई बैंक गारन्टी को संबंधित बैंक से In Cash कराया जावे एवं जमा प्रतिभूति राशि जब्त की जाकर नियमानुसार कार्यवाही की जा सकेगी।

(3) ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत चैक अनादरित होने पर ठेकेदार के विरूद्ध कार्यवाही कर समस्त बकाया राशि, जुर्माना राशि आदि की वसूली के लिये उचित विधिक कार्यवाही की जावेगी।

(4) ठेकेदार द्वारा ठेका राशि समय पर जमा नही करवाये जाने पर ठेकेदार को सुनवाई का अवसर देते हुए सीजन की समाप्ति पर ठेका निरस्त कर धरोहर राशि एवं फार्म पर बोयी गयी फसल जब्त करने की कार्यवाही की जा सकेगी।

30. निविदा शर्तों के अनुसार निर्धारित अवधि में अनुबंध पत्र (Agreement) नहीं करने एवं निर्धारित धरोहर राशि जमा नहीं कराने पर RTPP एक्ट एवं नियमों के अनुसार बिड सिक्योरिटी जब्त करने की कार्यवाही की जावेगी।

31. **ठेकेदार द्वारा उपरोक्तानुसार अनुबन्ध करने, प्रतिभूति राशि व पूर्ण ठेका राशि के चैक जमा करवाने के पश्चात् ही कार्यादेश जारी किया जावेगा।** इसके बाद फार्म अनुमोदित ठेकेदार को नियमानुसार सौंपा जायेगा। **कार्यादेश जारी किये जाने के पश्चात ही क्षेत्रीय प्रबन्धक/मुख्यालय द्वारा अनुमोदित फार्म प्लान के अनुसार सम्बन्धित संयन्त्र प्रबन्धक बीजोत्पादन हेतु बीज उपलब्ध करायेगा।**

32. बिड परफॉरमेन्स सिक्योरिटी राशि (SD) ठेका अवधि पूर्ण होने के पश्चात् ठेकेदार के विरूद्ध किसी भी प्रकार की बकाया नहीं होने पर लौटायी जावेगी। प्रतिभूति राशि हेतु ठेकेदार द्वारा सम्बन्धित संयन्त्र प्रबन्धक से बकाया नहीं का प्रमाणपत्र (No Dues Certificate) प्राप्त कर क्षेत्रीय प्रबंधक कार्यालय मे जमा कराना होगा।

33. राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 के समस्त प्रावधान तथा वित्त विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा समय-समय पर जारी परिपत्र/नोटिफिकेशन लागू होंगे।

34. दोनों पक्षों में विवाद उत्पन्न होने पर क्षेत्रीय प्रबन्धक स्थित न्यायालय क्षेत्राधिकार होगा।

फार्म ठेका शर्तें:–

1. यदि राज्य सरकार द्वारा निगम के किसी फार्म की अथवा फार्म के हिस्से की मांग की जाती हैं तो राज्य सरकार की मांग के मद्देनजर ठेकेदार को पूर्ण फार्म अथवा फार्म के निर्देशित हिस्से को पुनः निगम को लौटाना होगा (इस बाबत सीजन समाप्ति के साथ ही अथवा तीन माह के नोटिस पर फार्म का हिस्सा अथवा पूरा फार्म निगम को पुनः लौटाना होगा)। निगम को प्राप्त होने वाली ठेके की राशि का निर्धारण इसी के अनुरूप किया जाएगा तथा निर्धारित राशि ठेकेदार को बिना किसी शर्त के माननी होगी।
2. फार्म जैसी स्थिति में है उसी स्थिति में दिया जायेगा तथा निविदा पश्चात फार्म पर किसी भी अन्य सुविधा की यदि मांग की जाती है तो वह मान्य नही होगी। जिन फार्मो पर सिंचाई का साधन या ट्यूवेल स्थित है वहॉ ठेकेदार अपने स्वयं के संसाधनों से ही इनका पानी उपयोग में ले सकता है।
3. फार्म को ठेके पर लेने के उपरान्त किसी भी कारण अथवा परिस्थितिवश उत्पादन प्राप्त नहीं होता है तो निगम की कोई जिम्मेदारी नही होगी।
4. बीजोत्पादन के लिए आधार/प्रजनक बीज निगम द्वारा निर्धारित दर पर राशि जमा कराने पर विक्रय किया जावेगा।
5. फार्म पर ठेकेदार द्वारा बिजली के किये गये समस्त प्रकार के उपयोग (निगम की सबमर्सिबल मोटर लगी होने पर ठेकेदार द्वारा उसका उपयोग करने व अन्य उपयोग) करने पर बिजली के बिल का खर्च ठेकेदार को वहन करना होगा। **ठेकेदार द्वारा ट्यूबवेल/बोरवेल/कुँए तथा अन्य बिजली कनेक्शन का उपयोग नहीं करने की दशा में भी बिजली विभाग द्वारा जारी किये जाने वाले न्यूनतम बिल का भुगतान भी ठेकेदार द्वारा निर्धारित समय पर किया जाना अनिवार्य होगा।** बिजली बिल के भुगतान की रसीद क्षेत्रीय प्रबंधक कार्यालय में जमा करानी होगी। बिजली/अन्य कृषि उपकरण/मशीनरी की व्यवस्था स्वयं ठेकेदार को अपने स्तर पर करनी होगी।
6. फार्म पर उपलब्ध कृषि उपकरण/मशीनरी देने या न देने का निर्णय निगम का होगा। निगम द्वारा उपलब्ध करायी गयी समस्त मशीनरी व मोटर आदि की मरम्मत, रख–रखाव व सुरक्षा की जिम्मेदारी स्वंय ठेकेदार की होगी।
7. ठेकेदार फार्म के ठेके से पूर्व फार्म पर स्थित समस्त परिसम्पत्ति (चल व अचल) हेतु अन्डरटेकिंग देगा व ठेका पूर्ण होने पर यथा स्थिति में निगम को लौटायेगा। विभागीय भवनों का व्यवसायिक उपयोग नही करेगा। इसमें किसी भी प्रकार का ह्रास या नुकसान होने की स्थिति में इसकी भरपायी ठेकेदार से की जावेगी।
8. पानी की नालियां/सिंचाई धोरे इत्यादि की सफाई स्वंय को करनी होगी।
9. बीज उत्पादन कार्यकम के लिए पृथक्करण दूरी, रोगिंग व अन्य कार्य प्रमाणीकरण मापदण्डों के अनुसार ही रखना/करना होगा।
10. बीज की बुवाई, रोगिंग, फसल कटाई, थ्रेसिंग, बीज को बोरियों में भरना इत्यादि कार्य निगम प्रतिनिधि के निर्देशानुसार ही सम्पन्न कराये जावेंगे।

निविदादाता के हस्ताक्षर

11. यदि ठेकेदार द्वारा प्रमाणीकरण संस्था के अधिकारियो द्वारा अन्तिम निरीक्षण के दौरान दी गयी न्यूनतम अनुमानित उपज़ के 80 प्रतिशत से कम रॉ बीज जमा कराया जाता हैं तो उसे क्षेत्रीय प्रबंधक के कार्यालय में उस सीज़न के छः माह(खरीफ सीज़न की फसलों के लिए अप्रैल से सितम्बर माह तक तथा रबी फसलों के लिए अक्टूबर से मार्च माह तक) के ठेके की राशि का 5 प्रतिशत राशि जुर्माने के रूप में जमा करानी होगी। यदि प्रमाणीकरण संस्था के अधिकारियो द्वारा अनुमानित उपज़ आंकलन करने के पश्चात् मौसम की प्रतिकूल परिस्थितियों की वज़ह से उत्पादन न्यूनतम अनुमानित उपज़ से कम होता है तो उक्त परिस्थितियों के साक्ष्य/भौतिक सत्यापन रिपोर्ट (पीवी) प्रस्तुत करने पर जुर्माना राशि माफ करने का अधिकार प्रबंध निदेशक को होगा।
12. बीजोत्पादन के लिए कृषि विभाग की सिफारिशों के अनुसार बीज उपचार, खाद एवं उर्वरक उपयोग, कीटनाशकों का उपयोग इत्यादि निर्धारित मापदण्डों के अनुसार प्रयोग में लाने होंगे।
13. बीज उत्पादन प्रक्रिया पर होने वाले समस्त प्रकार के खर्चे ठेकेदार को वहन करने होंगे।
14. फार्म पर जो भी परिसम्पत्तियां ठेकेदार को सौंपी जायेंगी, उनकी सुरक्षा तथा ठेका अवधि समाप्त होने के बाद उनको वापिस उसी अवस्था में निगम को लौटाने का दायित्व सम्बन्धित ठेकेदार का होगा। ठेकेदार द्वारा निगम की किसी परिसम्पत्ति को नुकसान पहुंचाने पर या निगम को वापिस नहीं लौटाने पर निगम को होने वाली हानि का आंकलन क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा किया जावेगा तथा यह राशि क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा ठेकेदार से वसूल की जावेगी।
15. फार्म पर स्थित समस्त पेड़ों/वृक्षों पर संख्या (नम्बर) का आंकलन निगम द्वारा किया गया है जिनको पूर्ण संख्या में ठेका समाप्ति के पश्चात सम्बन्धित क्षेत्रीय प्रबंधक को गिनवाने होंगे तथा यदि इसमें कमी पायी जाती है या ठेकेदार द्वारा पेड़ों की कटाई करवायी जाती है तो ठेकेदार से इनकी कीमत वसूल की जावेगी तथा नियमानुसार विधिक कार्यवाही भी की जावेगी। ठेकेदार द्वारा फार्म पर उपलब्ध घास/लूम पातडी का निस्तारण करने से पूर्व क्षेत्रीय प्रबंधक को सूचित करते हुये निगम के प्रतिनिधि की उपस्थिति में ही इनकी निस्तारण की कार्यवाही करवायी जावेगी।
16. ठेकेदार द्वारा फार्म ठेके पर कृषि विभाग के मानदण्डो के अनुसार किसी एक वर्ष में गोबर की खाद (एफ.वाई.एम.) का प्रयोग करना होगा।
17. फार्म पर उत्पादित बीज की राशि का भुगतान ठेकेदार को निगम की निर्धारित क्रय नीति के अनुसार किया जायेगा तथा बीज उत्पादन व विधायन के समस्त व्यय सामान्य बीज उत्पादको की तरह स्वयं ठेकेदार को वहन करने होंगे।
18. ठेकेदार को क्षेत्रीय प्रबन्धक द्वारा बीजोत्पादन हेतु निर्धारित किये गये फार्म प्लान के अनुसार ही बीजोत्पादन लेना होगा तथा अन्य कोई भी फसल नहीं बोई जायेगी। यदि फार्म प्लान के अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रकार की फसल ठेकेदार द्वारा बोयी जाती है तब संबंधित फार्म की कुल ठेका राशि की 5 प्रतिशत राशि जुर्माने के रूप में संबंधित ठेकेदार से वसूली जायेगी। मुख्यालय द्वारा चारा फसलों के बीजोत्पादन कार्यक्रम का आवंटन किये जाने पर फार्म के 25 प्रतिशत क्षेत्रफल पर चारा बीजोत्पादन भी लिया जाना अनिवार्य होगा। बीजोत्पादन हेतु निर्धारित किये गये फार्म प्लान में क्षेत्रीय प्रबन्धक द्वारा आवश्यकता अनुसार संशोधन किया जा सकेगा। फार्मो पर मुख्य रूप से प्रज़नक से आधार बीज उत्पादन कार्यक्रम ही आवंटित किया जावेगा। प्रजनक बीज उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में आधार से प्रमाणित बीजोत्पादन कार्यक्रम का आवंटन क्षेत्रीय प्रबन्धक की अनुमति के उपरान्त किया जा सकेगा। क्षेत्रीय प्रबन्धक द्वारा जारी फार्म प्लान के अनुसार सम्बन्धित संयन्त्र प्रबन्धक द्वारा बीजोत्पादन हेतु बीज उपलब्ध करवाया जाकर बीजोत्पादन कार्यक्रम का आयोजन कराया जायेगा।

निविदादाता के हस्ताक्षर

19. ठेकेदार का स्टेटस केवल एक लाइसेंसी का होगा व उसे केवल बीज उत्पादन के लिए फार्म को काम में लेने का हक होगा। फार्म पर सदैव कब्जा निगम का रहेगा व ठेका अवधि के अन्तिम सीज़न में फार्म पर उत्पादित रॉ बीज निगम के विधायन संयन्त्र पर जमा कराने के पश्चात ठेकेदार का फार्म में प्रवेश बन्द कर दिया जायेगा।

20. ठेकेदार को फार्म के किसी भी क्षेत्र को अन्य कृषकों को सबलेट करने का अधिकार नहीं होगा।

21. फार्म पर लिये जाने वाला बीजोत्पादन कार्यक्रम का फार्म प्लान संबंधित निगम इकाई के संयंत्र प्रबन्धक/बीज अधिकारी द्वारा संबंधित ठेकेदार को उपलब्ध करवाया जायेगा।

22. ठेकेदार द्वारा यदि फार्म ठेका अवधि के मध्य में ठेका छोड़ा जाता है तो फार्म ठेके की समस्त बकाया राशि फार्म ठेकेदार द्वारा निगम को देय होगी।

निविदादाता के हस्ताक्षर

निविदादाता का नाम ....

पता ....

....

....

राजस्थान स्टेट सीड्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड

निगम फार्मों की तकनीकी निविदा हेतु संलग्नकों की चैक लिस्ट

क्र.सं.	आईटम	जमा करवाने की प्रक्रिया	
1	निविदा शुल्क एवं ई–निविदा प्रोसेसिंग शुल्क का डिमाण्ड ड्राफ्ट।	www.eproc.rajasthan.gov.in पर अपलोड करे।	{ }
2	बिड सिक्योरिटी राशि का डिमान्ड ड्राफ्ट/ऑन–लाईन/बैंक गारन्टी।	www.eproc.rajasthan.gov.in पर अपलोड करे।	{ }
3	पैन नम्बर की छायाप्रति।	www.eproc.rajasthan.gov.in पर अपलोड करे।	{ }
4	पूर्ण रूप से भरा हुआ सम्पूर्ण निविदा प्रपत्र जिसके प्रत्येक पृष्ठ पर निविदादाता की मोहर एवं हस्ताक्षर हो।	www.eproc.rajasthan.gov.in पर अपलोड करे।	{ }
5	500 रू. के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर शपथ–पत्र (किसी विभाग/संस्था द्वारा डीबार नहीं है।	www.eproc.rajasthan.gov.in पर अपलोड करे।	{ }
6	500 रू. के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर Declaration by the bidder (Annexure-B अनुसार)	www.eproc.rajasthan.gov.in पर अपलोड करे।	{ }
7	सक्षम अधिकारी द्वारा जारी हैसियत प्रमाण पत्र न्यूनतम राशि रू. आरक्षित राशि का 1/5 (पांचवा भाग) राशि।	www.eproc.rajasthan.gov.in पर अपलोड करे।	{ }
8	स्वयं द्वारा सत्यापित चल–अचल सम्पति का विवरण।	www.eproc.rajasthan.gov.in पर अपलोड करे।	{ }
9	निविदादाता द्वारा स्वयं अथवा परिवार के अन्य सदस्य के नाम पर पूर्व वर्षो में फार्म ठेका लिया गया है तो संबंधित फार्म के प्रभारी अधिकारी से संतोषजनक कार्य का प्रमाण–पत्र।	www.eproc.rajasthan.gov.in पर अपलोड करे।	{ }

नोटः– 1. उपरोक्तानुसार समस्त दस्तावेज उपलब्ध नहीं होने पर निविदा निरस्त समझी जावेगी।
2. समस्त स्टाम्प पेपर निगम कार्यालय में By Post/By hand प्रस्तुत किये जावें।

हस्ताक्षर मय सील निविदादाता

नामः

पूरा पताः

Compliance with the Code of Integrity and No Conflict of Interest

Any person participating in a procurement process shall -

(a) not offer any bribe, reward or gift or any material benefit either directly or indirectly in exchange for an unfair advantage in procurement process or to otherwise influence the procurement process;
(b) not misrepresent or omit that misleads or attempts to mislead so as to obtain a financial or other benefit or avoid an obligation;
(c) not indulge in any collusion, Bid rigging or anti-competitive behavior to impair the transparency, fairness and progress of the procurement process;
(d) not misuse any information shared between the procuring Entity and the Bidders with an intent to gain unfair advantage in the procurement process;
(e)not indulge in any coercion including impairing or harming or threatening to do the

same, directly or indirectly, to any party or to its property to influence the procurement process;

(f) not obstruct any investigation or audit of a procurement process;
(g) disclose conflict of interest, if any; and
(h) disclose any previous transgressions with any Entity in India or any other country during the last three years or any debarment by any other procuring entity.

Conflict of Interest:-

The Bidderparticipating in a bidding process must not have a Conflict of Interest.

A Conflict of Interest is considered to be a situation in which a party has interests that could improperly influence that party's performance of official duties or responsibilities, contractual obligations, or compliance with applicable laws and regulations.

i. A Bidder may be considered to be in Conflict of Interest with one or more parties in a bidding process if, including but not limited to:

a. have controlling partners/ shareholders in common; or
b. receive or have received any direct or indirect subsidy from any of them; or
c. have the same legal representative for purposes of the Bid; or
d. have a relationship with each other, directly or through common third parties, that puts them in a position to have access to information about or influence on the Bid of another Bidder, or influence the decisions of the Procuring Entity regarding the bidding process; or
e. the Bidder participates in more than one Bid in a bidding process. Participation by a Bidder in more than one Bid will result in the disqualification of all Bids in which the Bidder is involved.However, this does not limit the inclusion of the same subcontractor, not otherwise participating as a Bidder, in more than one Bid; or
f. f. the Bidder or any of its affiliates participated as a consultant in the preparation of the design or technical specifications of the Goods, Works or Services that are the subject of the Bid; or
g. Bidder or any of its affiliates has been hired (or is proposed to be hired) by the Procuring Entity as engineer-in-charge/ consultant for the contract.

Declarations by the Bidder

(On non-Judicial Stamp paper of Rs. 500/-)

In relation to our BID submitted to [enter designation and address of the procuring entity] for procurement of :::::::::::::::::::::::........ [insert name of the Goods] in response to their BID number .... Dated .... we hereby declare under Section - 7 and 11 of the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012, that:

1. I/We are eligible and possess the necessary professional, technical, financial, and managerial resources and competence required by the Bidding Document issued by the Procuring Entity.
2. I/We have fulfilled our obligation to pay such of the taxes payable to the Central Government or the State Government or any local authority, as specified in the Bidding Document.
3. I/We are not insolvent, in receivership, bankrupt or being wound up, not have our affairs administered by a court or a judicial officer, not have our business activities suspended and are not the subject of legal proceedings for any of the foregoing reasons.
4. I/We and our directors and officers have not been convicted of any criminal offence related to their professional conduct or the making of false statements or misrepresentations as to their qualifications to enter into a procurement contract within a period of three years preceding the commencement of the procurement process, or not have been otherwise disqualified pursuant to debarment proceedings.
5. I/We have not been/have been debarred under Section 46 of RTPP Act. In case the Bidder is debarred by any other Procuring Entity of State/Central Government or in any country in last three years then following details to be provided for each Procuring Entity:
   (i) Name of Entity State/Centre or Country:
   (ii) Period of debarment [start and end date]:
   (iii) Reason for the debarment:
6. I/We do not have a conflict of interest as specified in the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, the Rajasthan Transparency in Public Procurement Rules and this Bidding Document, which materially affects fair competition. A Conflict of Interest is considered to be a situation in which a party has interests that could improperly influence that party's performance of official duties or responsibilities, contractual obligations, or compliance with applicable laws and regulations.

i. A Bidder may be considered to be in Conflict of Interest with one or more parties in a bidding process if, including but not limited to:

a. have controlling partners/ shareholders in common; or

b. receive or have received any direct or indirect subsidy from any of them; or

c. have the same legal representative for purposes of the Bid; or

d. have a relationship with each other, directly or through common third parties, that puts them in a position to have access to information about or influence on the Bid of another Bidder or influence the decisions of the Procuring Entity regarding the bidding process; or

e. The Bidder participates in more than one Bid in a bidding process. Participation by a Bidder in more than one Bid will result in the disqualification of all Bids in which the Bidder is involved. However, this does not limit the inclusion of the same subcontractor, not otherwise participating as a Bidder in more than one Bid; or

f. The Bidder or any of its affiliates participated as a consultant in the preparation of the design or technical specifications of the Goods, Works or Services that are the subject of the Bid; or

7. I/We have complied and shall continue to comply with the Code of Integrity as specified in the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, the Rajasthan Transparency in Public Procurement Rules, and this Bidding Document, till completion of all our obligations under the Contract. This means that any person participating in a procurement process shall

a) not offer any bribe, reward or gift or any material benefit either directly or indirectly in exchange for an unfair advantage in procurement process or to otherwise influence the procurement process;
b) not misrepresent or omit that misleads or attempts to mislead so as to obtain a financial or other benefit or avoid an obligation;
c) not indulge in any collusion, bid rigging or anti-competitive behavior to impair the transparency, fairness and progress of the procurement process;
d) not misuse any information shared between the procuring Entity and the prospective producer with an intentto gain unfair advantage in the procurement process;
e) not indulge in any coercion including impairing or harming or threatening to do the same, directly or indirectly, to any party or to its property to influence the procurement process;
f) not obstruct any investigation or audit of a procurement process;
g) disclose conflict of interest, if any; and
h) Disclose any previous transgressions with any Entity in India or any other country during the last three years or any debarment by any other procuring entity.

8. That our firm is not involved in any litigation with any state/central govt. deptt. /Public undertaking etc.

Date:

Signature of Bidder

Place:

Name:

Designation:

Address:

__Annexure-‘C’__

Grievance Redressal during Procurement Process

The designation and address of the First Appellate Authority is P.S.A., Department of Agriculture Government of Rajasthan.

The designation and address of the Second Appellate Authority is Faineance Department Government of Rajasthan.

(1) Filing an appeal

If any Bidder or prospective bidder is aggrieved that any decision, action or omission of the Procuring Entity is in contravention to the provisions of the Act or the Rules or the Guidelines issued thereunder, he may file an appeal to First Appellate Authority, as specified in the Bidding Document within a period of ten days from the date of such decision or action, omission, as the case may be, clearly giving the specific ground or grounds on which he feels aggrieved:

Provided that after the declaration of a Bidder as successful the appeal may be filed only by a Bidder who has participated in procurement proceedings:

Provided further that in case a Procuring Entity evaluates the Technical Bids before the opening of the Financial Bids, an appeal related to the matter of Financial Bids may be filed only by a Bidder whose Technical Bid is found to be acceptable.

(2) The officer to whom an appeal is filed under para (I) shall deal with the appeal as expeditiously as possible and shall endeavor to dispose it of within thirty days from the date of the appeal.

(3) If the officer designated under pars (1) fails to dispose of the appeal filed within the period specified in pars (2), or if the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity is aggrieved by the order passed by the First Appellate Authority, the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity, as the case may be, may file a second appeal to Second Appellate Authority specified in the Bidding Document in this behalf within fifteen days from the expiry of the period specified in para (2) or of the date of receipt of the order passed by the First Appellate Authority, as the case may be.

(4) Appeal not to lie in certain cases

No appeal shall lie against any decision of the Procuring Entity relating to the following matters, namely:-

(a) determination of need of procurement;
(b) provisions limiting participation of Bidders in the Bid process;
(c) the decision of whether or not to enter into negotiations;
(d) cancellation of a procurement process;
(e) applicability of the provisions of confidentiality.

(5) **Form of Appeal**

(a) An appeal under pars (1) or (3) above shall be in the annexed Form along with as many copies as there are respondents in the appeal.
(b) Every appeal shall be accompanied by an order appealed against, if any, affidavit verifying the facts stated in the appeal and proof of payment of fee.
(c) Every appeal may be presented to First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, in person or through registered post or authorized representative.

(6) **Fee for filing appeal**

(a) Fee for first appeal shall be rupees two thousand five hundred and for second 'appeal shall be rupees ten thousand, which shall be non-refundable.
(b) The fee shall be paid in the form of bank demand draft or banker's cheque of a Scheduled Bank in India payable in the name of Appellate Authority concerned.

(7) **Procedure for disposal of appeal**

(a) The First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, upon filing of appeal, shall issue notice accompanied by copy of appeal, affidavit and documents, if any, to the respondents and fix date of hearing.

(b) On the date fixed for hearing, the First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, shall,-

(i) hear all the parties to appeal present before him; and
(ii) peruse or inspect documents, relevant records or copies thereof relating tothe matter.

(c) After hearing the parties, perusal or inspection of documents and relevant records or copies thereof relating to the matter, the Appellate Authority concerned shall pass an order in writing and provide the copy of order to the parties to appeal free of cost.

(d) The order passed under sub-clause (c) above shall also be placed on the State Public Procurement Portal.

FORM No. 1

[See rule 831

Memorandum of Appeal under the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012

Appeal No .. of............

Before the (First / Second Appellate Authority)

1. Particulars of appellant:

   (i) Name of the appellant:

   (ii) Official address, if any:

   (iii) Residential address:

2. Name and address of the respondent(s):

   (i)
   (ii)
   (iii)

3. Number and date of the order appealed against and name and designation of the officer / authority who passed the order (enclose copy), or a statement of a decision, action or omission of the Procuring Entity in contravention to the provisions of the Act by which the appellant is aggrieved:

4. If the Appellant proposes to be represented by a representative, the name and postal address of the representative:

5. Number of affidavits and documents enclosed with the appeal:

6. Grounds of appeal:

....

....

.... Supported by an Affidavit)

7. Prayer:

....

....

Place..................................
Date..................................
Appellant's Signature

Annexure-'D'

Additional Conditions of Contract

1. Correction of arithmetical errors :

Provided that a Financial Bid is substantially responsive, the Procuring Entity will correct arithmetical errors during evaluation of Financial Bids on the following basis:

i. if there is a discrepancy between the unit price and the total price that is obtained by multiplying the unit price and quantity, the unit price shall prevail and the total price shall be corrected, unless in the opinion of the Procuring Entity there is an obvious misplacement of the decimal point in the unit price, in which case the total price as quoted shall govern and the unit price shall be corrected;

ii. if there is an error in a total corresponding to the addition or subtraction of subtotals, the subtotals shall prevail and the total shall be corrected; and

iii. if there is a discrepancy between words and figures, the amount in words shall prevail, unless the amount expressed in words is related to an arithmetic error, in which case the amount in figures shall prevail subject to (i) and (ii) above.

If the Bidder that submitted the lowest evaluated Bid does not accept the correction of errors, its Bid shall be disqualified and its Bid Security shall be forfeited or its Bid Securing Declaration shall be executed.

2. Procuring Entity's Right to Vary Quantities:

(i) At the time of award of contract, the quantity of Goods, works or services originally specified in the Bidding Document may be increased or decreased by a specified percentage, but such increase or decrease shall not exceed fiftypercent, of the quantity specified in the Bidding Document. It shall be without any change in the unit prices or other terms and conditions of the Bid and the conditions of contract.

(ii) If the Procuring Entity does not procure any subject matter of procurement or procures less than the quantity specified in the Bidding Document due to change in circumstances, the Bidder shall not be entitled for any claim or compensation except otherwise provided in the Conditions of Contract.

(iii) In case of procurement of Goods or services, additional quantity may be procured by placing a repeat order on the rates and conditions of the original order. However, the additional quantity shall not be more than 50% of the value of Goods of the original contract and shall be within one month from the date of expiry of last supply. If the Supplier fails to do so, the Procuring Entity shall be free to arrange for the balance supply by limited Bidding or otherwise and the extra cost incurred shall be recovered from the Supplier.

3. Dividing quantities among more than one Bidder at the time of award (In case of procurement of Goods)

As a general rule all the quantities of the subject matter of procurement shall be procured from the Bidder, whose Bid is accepted. However, when it is considered that the quantity of the subject matter of procurement to be procured is very large and it may not be in the capacity of the Bidder, whose Bid is accepted, to deliver the entire quantity or when it is considered that the subject matter of procurement to be procured is of critical and vital nature, in such cases, the quantity may be divided between the Bidder, whose Bid is accepted and the second lowest Bidder or even more Bidders in that order, in a fair, transparent and equitable manner at the rates of the Bidder, whose Bid is accepted.

Date:
Place:

Signature of bidder
Name :
Designation
Address:

Annexure-E

Declaration and Undertaking

(On non-judicial stamp paper of Rs. 500/-)

I (Name and complete address) ________________________________Sole Proprietor / authorised signatory of the firm (Name and complete address)____________ do hereby solemnly affirm and declare that the individual/ firm/ company is not blacklisted/banned/debarred on any ground by Bid Inviting Authority or Govt. of Rajasthan or its departments/Central Govt. in last three years from date of bid submission.

(Name of Deponent & Signature)

Verification

I .... S/o .... (Designation) .... Affirm on oath that the contents/information as mentioned above, are true & correct to the best of my knowledge and nothing is hidden. I also declare on oath that if any information furnished by me as above is found wrong, forged or fabricated the Corporation will be at liberty to cancel the Bid for which I shall be solely responsible and the firm may be Debarred/Banned/blacklisted/prosecuted for the same.

(Name of Deponent & Signature)

Annexure-'F'

रू. 500/– नोन जूडिसियल
स्टाम्प पेपर

अनुबंध

मै..पुत्र श्री ....निवासी ..
....
....(प्रथम पक्ष) जिसे अनुबंध में आगे ठेकेदार शब्द से उदधृत किया गया है (जहॉ संदर्भ द्वारा ऐसा स्वीकार किया जावेगा, उसके उंत्तराधिकारियों को शामिल किया हुआ समझा जायेगा) एवं क्षेत्रीय प्रबन्धक, राजस्थान स्टेट सीड्स कार्पोरेशन लिमिटेड, ...(द्वितीय पक्ष) जिसे अनुबंध में आगे निगम शब्द से सम्बोधित किया गया है के मध्य आज दिनांक .... को निष्पादित किया गया है।

निगम फार्म.................................... वर्ष .... के लिए ठेके पर बीज उत्पादन हेतु राशि रू. ....में संलग्न शर्तो के अधीन ठेके पर लिया गया है। निविदा क्रमांक .... दिनांक ....की समस्त शर्ते, कार्यादेश इत्यादि इस करार का हिस्सा मानी जावेंगी।

क्षेत्रीय प्रबन्धक,
राजस्थान स्टेट सीड्स कार्पोरेशन लि.
....
(द्वितीय पक्ष)

(ठेकेदार के हस्ताक्षर)
(प्रथम पक्ष)
नाम ठेकेदार ....
पिता का नाम ....
पता ....
....
....
मोबाइल नं. ....

गवाहों के नाम, पता एवं हस्ताक्षर
(1) नाम ....
पिता का नाम ....
पता ....
....
....
मोबाइल नं. ....

(2) नाम ....
पिता का नाम ....
पता ....
....
....
मोबाइल नं. ....

गवाहों के नाम, पता एवं हस्ताक्षर
(1) नाम ....
पिता का नाम ....
पता ....
....
....
मोबाइल नं. ....

(2) नाम ....
पिता का नाम ....
पता ....
....
....
मोबाइल नं. ....